प्रकरण संख्या 29/19 2019/00134 ता0रजू 01.07.2019

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाडिया आई.ए.एस.

अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत भझेडा तहसील टोडाभीम जिला करौली जरिये सचिव श्रीमति कजोडी देवी पत्नि सुरज्ञान मीना जाति मीना निवासी अनंतपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली (राज.) — अपीलाण्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी करौली हाल कार्यालय जिला रसद विभाग तहसील व जिला करौली

— रेस्पोण्डेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 22 राज0 खाद्यान्न एवं रूल आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियम) आदेश 1976 विरूद्ध निर्णय विरूद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी करौली का आदेश दिनांक 11.06.2019 जिसके द्वारा अपीलाण्ट का उचित मूल्य दुकानदार प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है।

निर्णय

दिनांक 04.09.2019

यह अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 22 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि जिला रसद अधिकारी करौली, प्रवर्तन निरीक्षक करौली व प्रवर्तन निरीक्षक नादौती द्वारा दिनांक 09.03.2019 को अपीलार्थी के पति श्री सुरज्ञान मीना की उपस्थिति में अपीलार्थी राशन डीलर की राशन दुकान की जांच करने पर अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान पर स्टॉक व मूल्य सूची बोर्ड का अस्पष्ट प्रदर्शन, मौके पर भौतिक सत्यापन करने पर गेंहूं, चीनी व केरोसीन का स्टॉक शून्य पाया जाना, जबकि कार्यालय रिकॉर्ड, ऑनलाइन वितरण एवं थोक विक्रेताओं द्वारा पेश मासिक रिटर्न के आधार पर अपीलार्थी राशन डीलर के पास वक्त जांच 33.26 क्विं. गेंहूं, 5.44 क्विं. चीनी एवं 424 लीटर केरोसीन स्टॉक में शेष होना चाहिये था, अवशेष स्टॉक को अतिरिक्त दुकान दांतली में रखा हुआ बताना जिसकी चाबी अपीलार्थी राशन डीलर के पास होना व अपीलार्थी राशन डीलर का बाहर जाना बताना, प्राधिकार पत्र के निलंबन होने पर अटैच डीलर को 5.44 क्विं. चीनी की अपेक्षा 3.6 क्विं. चीनी तथा 424 लीटर केरोसीन की अपेक्षा 187 लीटर केरोसीन अटैच डीलर को सुपुर्द करना, शेष 1.84 क्विं. चीनी एवं 237 लीटर केरोसीन का दुरुपयोग करना, ए.पी.एल. श्रेणी के उपभोक्ताओं को दो माह में एक बार गेंहूं का वितरण किया जाना, बकाया (पिछले माह का शेष) राशन नहीं देना, राशन कार्डों में वितरण व वितरण की मात्रा का इन्द्राज नहीं करना, राशन वितरण का इन्द्राज संबंधित माह में न करके इधर–उधर करना, उपभोक्ताओं को पोस की पर्ची नहीं देना, आदि अनियमितताएं पाये जाने पर एवं अपीलार्थी का जवाब संतोषजनक नहीं होने पर जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा अपने निर्णय दिनांक 11.06.2019 द्वारा अपीलार्थी का राशन प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 11.03.2019 को अपीलाण्ट की दुकान की जांच करना बताते हुए एक जांच प्रतिवेदन जिला रसद अधिकारी करौली को प्रस्तुत किया गया जिस जांच प्रतिवेदन में यह आरोप लगाये गये कि दुकान स्वयं के घर में खुले आहते में पायी गयी और सचिव मौके पर मौजूद नही मिली तथा पोस मशीन में

जिला कलक्टर
करौली

उपलब्ध स्टॉक चीनी, केरोसीन व गेहूं दर्ज पाया गया और भौतिक सत्यापन में गेंहू, चीनी व केरोसीन का स्टॉक शून्य पाया गया तथा उपभोक्ताओं ने डीलर के वितरण के प्रति असंतुष्टि व्यक्त की एवं राशन कार्डो की जांच करने पर राशन कार्डो में राशन की मात्रा का इन्द्राज नही पाया गया। उक्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा अपीलाण्ट का प्राधिकार पत्र दिनांक 11.03.2019 को निलंबित करते हुए एक नोटिस दिनांक 18.03.2019 को भेजा गया जिस नोटिस का अपीलाण्ट द्वारा उचित स्पष्टीकरण दिनांक 04.04.2019 को प्रस्तुत किया गया इसके बाबजूद भी जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलाण्ट का प्राधिकार पत्र विधि विरूद्ध तरीके से निरस्त कर दिया गया जो निरस्तीकरण का आदेश अवैध है और अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी द्वारा निर्णय में यह अंकित किया है कि भौतिक सत्यापन पर गेहूं, चीनी व केरोसीन का स्टॉक शून्य पाया गया जो तथ्य असत्य है। अपीलाण्ट के पास जांच के समय गेहूं केरोसीन व चीनी उपलब्ध रहा है और भौतिक सत्यापन में शून्य नहीं पाया गया। जांच अधिकारी द्वारा गलत तरीकों से उक्त स्टॉक शून्य होने की गलत रिपोर्ट की गयी है। अपीलाण्ट के पास भझेडा की दुकान के अतिरिक्त ग्राम दांतली मे भी उचित मूल्य की दुकान है और अनंतपुरा वाली दुकान का स्टॉक ग्राम दांतली वाली दुकान के स्टॉक की आपूर्ति के समय एक साथ ग्राम दांतली वाली दुकान पर खाली कराया गया तथा परिवहन व्यवस्था नहीं होने के कारण अपीलाण्ट समय पर उक्त स्टॉक को अनंतपुरा में नहीं ला सकी जो परिस्थितियों के कारण ही हुआ था और इसमें अपीलाण्ट की कोई बदनीयति नहीं थी। अपीलाण्ट द्वारा उक्त तथ्य अपने जवाब नोटिस में भी अंकित किये गये किन्तु जिला रसद अधिकारी ने इन तथ्यों की अनदेखी कर विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो अपास्त होने योग्य है। अपीलाण्ट द्वारा उक्त दुकान के शेष स्टॉक का गेहूं एवं केरोसीन, चीनी अटैच डीलर मनोज कुमार मीना को सम्हलवा दी गयी है जिसकी प्राप्ति रसीद अपील के साथ प्रस्तुत है जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलाण्ट के पास भौतिक सत्यापन में स्टॉक शून्य होना गलत बताया गया है। जांच अधिकारी द्वारा अपनी जांच में यह अंकित किया गया है कि उपभोक्ताओं ने डीलर के प्रति असंतुष्टि व्यक्त की है और कुछ उपभोक्ताओं के बयान भी लेखबद्ध कर जांच के साथ संलग्न किये जिन उपभोक्ताओं से सम्पर्क कर उक्त उपभोक्ताओं ने अपनी शिकायत बहकावे में आकर रंजिशवश करना मानते हुये इस आशय के शपथपत्र अपीलाण्ट को दिये जो शपथ पत्र अपीलाण्ट द्वारा अपने जवाब के साथ जिला रसद अधिकारी करौली को प्रस्तुत किये गये किन्तु जिला रसद अधिकारी करौली ने अपने निर्णय में उक्त शपथ पत्रों को इस आधार पर नजरअंदाज किया है कि उपभोक्ताओं के सादे कागज पर एक ही प्रपत्र में शपथपत्र दिये गये है। जिला रसद अधिकारी द्वारा इस प्रकार की विवेचना उपरान्त उपभोक्ताओं के शपथ पत्रो को नजरअंदाज कर विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है जो अपास्त होने योग्य है। जिला रसद अधिकारी द्वारा अपने निर्णय में विधि विरूद्ध तरीके से 1.84 क्विंटल चीनी व 237 लीटर केरोसीन का दुरूपयोग करना व उपभोक्ताओं के एक ही प्रपत्र में सादे कागज पर शपथ पत्र तैयार करना उपभोक्ताओ को पोश मशीन की पर्ची नही देना राशन कार्डो में बदनियति से इन्द्राज नही करना व दो माह का वितरण का एक माह का राशन देने का विधि विरूद्ध निष्कर्ष देकर अपीलाण्ट के प्राधिकार पत्र को निरस्त करने का आदेश पारित किया गया है जो आदेश पूर्णतया अवैध है और अपास्त होने योग्य है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाये जाने का कथन किया है।

प्रत्यर्थी का बहस के दौरान कथन है कि जिला रसद अधिकारी करौली, प्रवर्तन निरीक्षक करौली व प्रवर्तन निरीक्षक नादौती द्वारा दिनांक 09.03.2019 को अपीलार्थी के पति श्री सुरज्ञान मीना की उपस्थिति में अपीलार्थी की राशन दुकान की जांच की गई जिसमें अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान पर स्टॉक व मूल्य सूची बोर्ड

जिला कलक्टर

का प्रदर्शन करना पाया गया लेकित वह अस्पष्ट था। वक्त जांच पोस मशीन में 35.75 किलोग्राम चीनी, 187 लीटर केरोसीन व 33.26 लीटर गेंहूं दर्ज पाया। मौके पर भौतिक सत्यापन करने पर गेंहूं, चीनी व केरोसीन का स्टॉक शून्य पाया गया जबकि कार्यालय रिकॉर्ड, ऑनलाइन वितरण एवं थोक विक्रेताओं द्वारा पेश मासिक रिटर्न के आधार पर अपीलार्थी राशन डीलर के पास वक्त जांच माह मार्च 2019 के प्रारम्भिक स्टॉक 33.26 क्विं. व माह मार्च 2019 की आमद 0 (शून्य) क्विं. सहित 33.26 क्विं. गेंहूं, में से वितरण 0 (शून्य) क्विं. गेंहूं उपरांत 33.26 क्विं. गेंहूं, दिनांक 01.01.2018 के प्रारम्भिक स्टॉक 5.94 क्विं. चीनी व दिनांक 01.01.2018 से वक्त जांच तक आमद 1 क्विं. चीनी सहित 6.94 क्विं. चीनी में से वितरण 1.5 क्विं. चीनी पश्चात् 5.44 क्विं. चीनी तथा दिनांक 01.10.2016 के प्रारम्भिक स्टॉक 0 (शून्य) लीटर केरोसीन व दिनांक 01.10.2016 से वक्त जांच तक आमद 8050 लीटर केरासीन सहित 8050 लीटर केरोसीन में वितरण 7626 लीटर केरोसीन पश्चात् 424 लीटर केरोसीन स्टॉक में शेष होना चाहिये था। अपीलार्थी राशन डीलर के पति ने अवशेष स्टॉक को अतिरिक्त आवंटित राशन दुकान दांतली में रखा हुआ बताया जिसकी चाबी अपीलार्थी राशन डीलर के पास होना एवं उसका बाहर जाना बताया गया। प्राधिकार पत्र के निलंबन होने पर अटैच डीलर को 5.44 क्विं. चीनी की अपेक्षा 3.6 क्विं. चीनी तथा 424 लीटर केरोसीन की अपेक्षा 187 लीटर केरोसीन अटैच डीलर को सुपुर्द की गई है तथा 1.84 क्विं. चीनी एवं 237 लीटर केरोसीन अटैच डीलर को सुपुर्द किये जाने से शेष रहा है जिसका दुरुपयोग किये जाने की पूर्ण संभावना है। मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओं के बयान लिये जाने पर उन्होंने अपने बयानों में बताया है कि अपीलार्थी राशन डीलर ए.पी.एल. श्रेणी के उपभोक्ताओं को दो माह में एक बार गेंहूं का वितरण करता है, बकाया (पिछले माह का शेष) राशन नहीं देता है, उपभोक्ताओं को पोस की पर्ची नहीं देता है। राशन सामग्री के वितरण का राशन कार्डों में इन्द्राज एवं ऑनलाइन वितरण की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया कि अपीलार्थी राशन डीलर वितरण व वितरण की मात्रा का इन्द्राज या तो नहीं करता है, या फिर संबंधित माह में न करके इधर–उधर इन्द्राज करता है। अपीलार्थी द्वारा "बाद की सोच" के साथ उपभोक्ताओं के एक की तरह के प्रिण्टेड प्रोफोर्मा पर उपभोक्ताओं के बयान पेश किये थे लेकिन किसी भी उपभोक्ता को न्यायालय में पेश नहीं किया गया था। इस प्रकार अपीलार्थी राशन डीलर के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की गई है। अंत में अपील अपीलाण्ट को खारिज फरमाये जाने का कथन किया गया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। अपीलार्थी राशन डीलर के पति की उपस्थिति में दिनांक 09.03.2019 को जिला रसद अधिकारी करौली, प्रवर्तन निरीक्षक करौली व प्रवर्तन निरीक्षक नादौती द्वारा अपीलार्थी की राशन दुकान की जांच की गई थी जिसमें अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान पर स्टॉक व मूल्य सूची बोर्ड का प्रदर्शन करना पाया गया लेकिन वह अस्पष्ट था। वक्त जांच पोस मशीन में 35.75 किलोग्राम चीनी, 187 लीटर केरोसीन व 33.26 लीटर गेंहूं दर्ज पाया। मौके पर भौतिक सत्यापन करने पर गेंहूं, चीनी व केरोसीन का स्टॉक शून्य पाया गया जबकि कार्यालय रिकॉर्ड, ऑनलाइन वितरण एवं थोक विक्रेताओं द्वारा पेश मासिक रिटर्न के आधार पर अपीलार्थी राशन डीलर के पास वक्त जांच 33.26 क्विं. गेंहूं, 5.44 क्विं. चीनी तथा 424 लीटर केरोसीन स्टॉक में शेष होना चाहिये था। प्राधिकार पत्र के निलंबन होने पर अटैच डीलर को 5.44 क्विं. चीनी की अपेक्षा 3.6 क्विं. चीनी तथा 424 लीटर केरोसीन की अपेक्षा 187 लीटर केरोसीन अटैच डीलर को सुपुर्द की गई है तथा 1.84 क्विं. चीनी एवं 237 लीटर केरोसीन अटैच डीलर को सुपुर्द नहीं की गई है जिसके दुरुपयोग किये जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओं के बयान एवं वितरण की ऑनलाइन रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी राशन डीलर ए.पी.एल. श्रेणी के उपभोक्ताओं को दो माह में एक बार

जिला कलक्टर
करौली

गेंहूं का वितरण करता है, बकाया (पिछले माह का शेष) राशन नहीं देता है, उपभोक्ताओं को पोस की पर्ची नहीं देता है, वितरण व वितरण की मात्रा का इन्द्राज या तो नहीं करता है, या फिर संबंधित माह में न करके इधर–उधर इन्द्राज करता है जो अपीलार्थी राशन डीलर की बदनीयति को दर्शाता है एवं राशन प्राधिकार पत्र की शर्तों का खुला उल्लंघन है। अपीलार्थी द्वारा एक की तरह के प्रिण्टेड प्रोफोर्मा पर जिन उपभोक्ताओं के बयान पेश किये गये थे, उनमें से किसी भी उपभोक्ता ने जिला रसद अधिकारी करौली कार्यालय अथवा इस न्यायालय में पेश नहीं हुआ है। इस कारण उक्त बयानों की सत्यता संदिग्ध है एवं अपीलार्थी की ''बाद की सोच'' को प्रदर्शित करती है। अतः हम प्रत्यर्थी के कथनों से सहमत हैं एवं अपील अपीलाण्ट खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील, अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.06.2019 यथावत् रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनकी पत्रावली के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
करौली